

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बर्डजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 21/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक: 11.03.2022

अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. कस्तूरा आ0 उददा जाति मीणा, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
2. भरतराम आ0 कस्तूरा जाति मीणा, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
3. देवराज कस्तूरा जाति मीणा, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
4. पर्वती बाई पत्नि कस्तूरा जाति मीणा, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी



...अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा जयें प्राचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रघुनाथपुरा तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा, बून्दी

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : रमेश कुमार जैन –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पोंड

::निर्णय::

दिनांक 21.06.2024

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर बून्दी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेड़ा की आराजी खसरा संख्या 424/325 रकबा 0.5018 हेक्टेयर किस्म नहरी-II भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा के भवन एवं खेल मैदान हेतु (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) आदेश संख्या 134 दिनांक 27.01.2022 से आवंटित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की गई।

1. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 134 दिनांक 27.01.2022 निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स गत 40 वर्षों से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व परिवार का जीवनयापन करते हैं। भूमि पर अपीलांट्स की गेहूं की फसल खड़ी है तथा अपीलांट्स उक्त भूमि अपने पक्ष में नियमन एवं आवंटन करवाने के अधिकार रखते थे। अपीलांट ने उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन एवं आवंटन हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश कर रखा है, इस बिन्दु पर गौर किये बिना जेरापील आवंटन आदेश जारी करने में भूल


(Handwritten signature)

की है। जबकि अनओक्यूपाईड भूमि ही आवंटन योग्य है, ऐसा प्रावधान रूल्स 1963 में अंकित हैं। ग्राम रघुनाथपुरा में पूर्व में पुराना स्कूल बना हुआ है उसके सामने खेल मैदान आवंटन हो रहा है तथा स्कूल व खेल मैदान हेतु पूर्व में ही 10 लाख रुपये मंजूर हो रहे हैं। इस कारण पुनः भवन व मैदान आवंटन करना न्याय संगत नहीं था। वाद विषयक भूमि रघुनाथपुरा ग्राम से तीन किलोमीटर दूर है तथा आस-पास कोई आबादी नहीं है। अपीलांटस ने वाद विषयक भूमि को काश्त योग्य बनाया है, समतल करवाया है, कुआ खुदवाया है तथा बिजली कनेक्शन करवाया है। अतः जिला कलक्टर, बून्दी का आदेश दिनांक 27.01.2022 जिसके द्वारा खसरा संख्या 424/325 रकबा 0.5018 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा का रेस्पोजेन्टस के पक्ष में हुआ आवंटन निरस्त किया जावे।

- 2 अपील पर रेस्पोजेन्ट की आपत्ति सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त हैं। मौके पर अपीलांटस ने वाद विषयक भूमि को काश्त योग्य बनाया है, समतल करवाया है, कुआ खुदवाया है तथा बिजली कनेक्शन करवाया है तथा उक्त भूमि पर अपीलांटस काश्त कर अपना व परिवार का जीवनयापन करते हैं। जिला कलक्टर, बून्दी ने वादग्रस्त भूमि मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना अधिग्रहित करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- 4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपीलांट के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य न होकर पुनरीक्षण योग्य होने से न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।
- 5 हमने जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आलौच्य जेर अपील आदेश का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा जेर अपील आदेश संख्या 134 दिनांक 27.01.2022 राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 424/325 रकबा 0.5018 हेक्टेयर किस्म नहरी-1A भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा, तहसील तालेडा के भवन एवं खेल मैदान हेतु (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) आवंटित किये जाने से व्यथित होकर पेश की गई। अपील दर्ज रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस उभय पक्षकार सुनी गई।
- 6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर 40 वर्षों से अपीलांटस का कब्जा काश्त होने से वह नियमन/आवंटन का पात्र होने के बावजूद जिला कलक्टर बून्दी ने उनको आवंटन/नियमन नहीं कर जेरअपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। रेस्पोजेन्ट पैरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि आक्षेपित आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 424/325 रकबा 0.5018 हेक्टेयर किस्म नहरी-1A भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा, तहसील तालेडा के भवन एवं खेल मैदान हेतु (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) आवंटित की गई हैं। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है, जो अपील योग्य न होकर सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण योग्य होने से राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज

योग्य हैं। उभय पक्षकारान के तर्क के संबंध में आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा जेरअपील आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अधीन पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं होकर केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी। राज0 सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संबंध में अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को स्थानान्तरित कर दिये हैं। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की है, जो उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में पोषणीय नहीं हैं। राज0 भू राजस्व अधिनियम की प्रथम अनुसूची (धारा 23) "न्यायिक मामलों की सूची" के अनुसार आक्षेपित आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं। बल्कि गैर न्यायिक एक प्रशासनिक आदेश है जो पुनरीक्षण योग्य होने से पैरोकार सरकार का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्तनीय हैं। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

- 7 निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


 (उर्मिला राजोरिया)
 संभागीय आयुक्त
 कोटा
 कोटा संभाग, कोटा